सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

ना0 अपील सं0 24/2017

बत्ती लाल पुत्र स्व0 गंगाधर जाति मीना उम्र 35 वर्ष निवासी जयसिंहपुरा तहसील दौसा हाल तहसील नॉगल राजावतान जिला दौसा ..अपी0

बनाम

1.भौरी देवी स्त्री स्व0 गंगाधर
2.कल्ली देवी स्त्री स्व0 गंगाधर
3.लल्लू पुत्र गंगाधर
4.कजोड पुत्र गंगाधर
5.रामरतन पुत्र गंगाधर समस्त जाति मीना निवासी जयसिंहपुरा तहसील दौसा हाल तहसील नॉगल राजावतान जिला दौसा
6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नॉगल राजावतान जिला दौसा ..रेस्पो0

अपील विरुद्व नामान्तरकरण सं0 12 दिनांक 29.05.89 ग्राम जयसिंहपुरा तहसीलदार, दौसा हाल तहसील नॉगल राजावतान

उपस्थिति–1. श्री कैलाश प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री मुकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः 06.11.17

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 29.05.89 को नामान्तरकरण सं0 12 विरासत के आधार पर तस्दीक कर दिया गया है। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि आराजी खसरा नंबर 89,239,240,243,244,262,264,266,267,268,267,269 कुल किता 11 कुल रकबा 5.67 एवं खसरा नंबर 263 0.01 है0 गै0मु0 चाह ग्राम जयसिंहपुरा तहसील दौसा हाल नॉगलराजावतान मे स्थित है। उक्त सम्पूर्ण रकबे का खातेदार अपीलांट का बाबा भौर्या पुत्र पॉच्या मीना था एवं खसरा नंबर 263 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह के हिस्सा 2/3 का भी खातेदार अपीलांट का बाबा था। अपीलांट के पिता का देहांत अपीलांट के बाबा के जीवन काल में ही हो गया था। अपीलांट के पिता गंगाधर के

दो पत्नीयॉ थी, रेस्पो0 नं0 1 व 2 थी जो मौजूद है। अपीलांट के पिता के 4 पुत्र थे जो मौजूद है। अपीलांट व रेस्पो0 नंबर 3 लगायत 5 स्व0 गंगाधर के पुत्र एवं स्व0 भौर्‌या के पाते है। जब अपी0 के बाबा का स्वर्गवास सन् 1986 में हुआ तो विरासत का नामन्तरकरण जैर अपील अपीलांट व रेस्पो0 नं0 1 लगायत 5 के हक में तस्दीक किया गया। उस समय अपीलांट की उम्र मात्र 6 वर्ष थी। जिसमें अपीलांट का नाम बत्तीलाल की जगह एब इन इश्यू वाईड व शून्य बसन्तीलाल लिख दिया गया। जो विधि विरुद्ध एवं कानून के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें व अपीलांट बत्तीलाल के स्थान पर बसन्ती लाल अंकित कर दिया उसमें अपीलांट का नाम बत्तीलाल अंकित किया जाकर नामान्तरकरण खोलने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पो0 की बहस में दलील है कि तहसीलदार दौसा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सहवन से दर्ज हो गया । ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का नाम शुद्ध कर दिया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार को रिमाण्ड किया जाना उचित होगा।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार, दौसा ने राजस्व अभियान के दौरान दिनांक 29.05.89 को नामान्तरकरण सं0 12 विरासत के आधार पर तस्दीक किया गया है। उक्त तस्दीक किये गये नामान्तरकरण में अन्य वारिसान के साथ बसन्ती लाल का नाम भी अंकित है। अपीलांट्स द्वारा उसके बसन्ती लाल के स्थान पर बत्ती लाल संशोधन करने हेतु इस्तदुआ की गई है। हॉलाकि अपीलांट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं अंक तालिका की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की गई है। फिर भी इस न्यायालय द्वारा सीधा ही कोई कार्यवाही नहीं करते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूँकि नामान्तरकरण तहसीलदार दौसा द्वारा तस्दीक किया गया था किंतु वर्तमान में उक्त ग्राम तहसीलदार नॉगलराजावतान के अधीन है। ऐसी स्थिति में पक्षकारान की सुविधा एवं सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए प्रकरण तहसीलदार नॉगलराजावतान को भिजवाना जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.89 पर पारित आदेश निरस्त किया जाता है । तहसीलदार नॉगल राजावतान को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर इस न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 06 नवम्बर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official